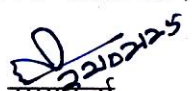
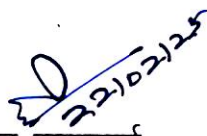


न्यायालय अपर समाहर्ता, पाकुड़

आर० एम० पी० वाद सं०-11/2011-12

सरकार द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़-बनाम-दयाल दास
आदेश

आदेश की संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई बारे में टिप्पणी तारीख
01	02	03
	यह वाद विज्ञ उपायुक्त पाकुड़ के न्यायालय से सुनवाई एवं निष्पादन हेतु आर०एम०पी० वाद सं०-06/2002 में दिनांक-14.11.2002 को दिये गए आदेश के आलोक में प्राप्त हुआ है। मौजा पीपलजोड़ी के दाग सं०-02, के अंतर्गत रकवा 25.75 (एकड़) भूमि जो दयाल दास, पाकुड़ के नाम से कायम अवैध जमाबंदी के विरुद्ध निम्न न्यायालय के स्था०रा०वि० वाद सं०-68/98-99 द्वारा प्राप्त है। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्ष 2002 से उपायुक्त के न्यायालय में चल रही है विपक्षी के द्वारा दिनांक-19.09.2015 को हाजरी दी गई एवं इसके पश्चात् लगातार अनुपस्थिति है। दिनांक-22.01.2025 को नोटिश निर्गत किया गया। अभिलेख में वर्णित पत्राचार पते पर नोटिश तामिला नहीं हो पाया। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि विगत कई वर्षों से इस नाम का कोई व्यक्ति इस पते पर नहीं रह रहे हैं। जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ के पत्रांक-2773/एम०, दिनांक-04.11.1999 से प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि का खनन पट्टा विपक्षी के नाम स्वीकृत किया गया था। माइनिंग लीज की प्रति अभिलेख में संलग्न है। माइनिंग लीज मौजा-पीपलजोड़ी के दाग सं०-02, के अंतर्गत रकवा 25.75 (एकड़) से संबंधित है जिसकी लीज अवधि दिनांक-29.11.1999 से 10 वर्ष तक की हैं। जो समाप्त हो चुकी है। लीज के आधार पर पंजी-॥ में जमाबंदी सृजन का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट प्रतीत होता है कि पंजी-॥ में सृजित उक्त जमाबंदी पूर्ण रूप से अवैध है जिसके पक्ष में विपक्षी द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। मौजा पीपलजोड़ी के दाग सं०-02, के अंतर्गत दयाल दास के नाम रकवा 25.75 (एकड़) भूमि पंजी-॥ में सृजित की गई जमाबंदी को विलोपित करने का आदेश दिया जाता है। अंचल अधिकारी, पाकुड़ पंजी-॥ से उक्त जमाबंदी को एक सप्ताह के अन्दर विलोपित करते हुए प्रश्नगत भूमि को सरकारी कब्जे में ले लेंगे एवं तदसंबंधी प्रतिवेदन न्यायालय को समर्पित करेंगे। आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, पाकुड़ को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजे। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित संशोधित।  अपर समाहर्ता, पाकुड़।  अपर समाहर्ता, पाकुड़।	